

Case No. 30A/2016

Filling no,234503011742015

न्यायालय:-श्रीष कैलाश शुक्ल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

व्य0वादप्रक0 क्र0-30ए / 2016

संस्थित दिनांक 27.07.2015

- 1.सुरेश उम्र-33 वर्ष पिता स्व0 सिरजूदास जाति पनिका,  
निवासी ग्राम बोदा (मा0) पोस्ट अलना तहसील बैहर जिला बालाघाट ।
- 2.नरेश उम्र-29 वर्ष पिता स्व0 सिरजूदास जाति पनिका,  
निवासी ग्राम बोदा (मा0) पोस्ट अलना तहसील बैहर जिला बालाघाट ।

.....वादीगण ।

### विरुद्ध

- 1.लक्ष्मीबाई उम्र लगभग-33 वर्ष पति गणेश, जाति पनिका,  
निवासी ग्राम बोदा (मा0) पोस्ट अलना तहसील बैहर जिला बालाघाट ।
- 2.श्रीमान कलेक्टर महोदय बालाघाट ।

.....प्रतिवादीगण ।

### —:: निर्णय ::—

—:: दिनांक 23.11.2016 को घोषित ::—

1. यह दावा वादीगण के स्वत्व की वादग्रस्त भूमि मौजा बोदा प.ह.नं. 54/07 रा.नि.मं. गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा क्रमांक 17/4 एवं खसरा क्रमांक 17/15 कुल रकबा 0.76 डिसमिल एवं 0.308 हे0 भूमि में से 0.03 डिसमिल भूमि पर बने प्रतिवादी के मकान व बाड़ी को तोड़कर भूमि का रिक्त आधिपत्य दिलाये जाने बाबद् प्रस्तुत किया गया है ।
2. प्रकरण में स्वीकृत है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के स्वामित्व की भूमि है ।
3. वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा क्रमांक 17/4 रकबा 0.76 डि0 तथा खसरा क्रमांक 17/15 रकबा 0.308 हे0 मौजा बोदा प.ह.नं.54/07 रा.नि.मं. गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट की भूमि है । वादीगण एवं प्रतिवादी ग्राम बोदा पोस्ट अलना तहसील बैहर जिला

बालाघाट के निवासी है। प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई द्वारा वादीगण के स्वत्व की भूमि के एक अंश पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान बना लिया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई ग्राम बोदा की प्रभावशाली महिला है। उसने वर्ष 2014 में वादीगण के स्वत्व की 0.03 डिसमिल भूमि पर मकान बनाना प्रारंभ किया। वादीगण ने उसे रोकने की चेष्टा की परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई ने कहा कि वादीगण भूमि का सीमांकन करवा ले और यदि वादीगण की भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई का कब्जा पाया गया तो वह स्वयं मकान, बाड़ी तोड़कर भूमि खाली कर देगी। वादीगण ने तहसीलदार बैहर के समक्ष अपनी भूमि का सीमांकन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं राजस्व निरीक्षक गढ़ी तथा पटवारी से सीमांकन करवाया तो प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई का वादग्रस्त भूमि में 0.03 डिसमिल भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान व बाड़ी बनाया जाना पाया गया। वादीगण ने प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई से अपना अवैध अतिक्रमण हटाने के लिये कहा परन्तु उसने वादीगण की भूमि को रिक्त करने से इंकार कर दिया। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 17/4 रकबा 0.76 डि० तथा खसरा क्रमांक 17/15 रकबा 0.308 हे० भूमि में से प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण कर 0.03 डिसमिल भूमि पर बनाये गये मकान तथा बाड़ी को तोड़कर रिक्त आधिपत्य वादीगण को दिलाया जावे।

4. स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त शेष अभिवचनों का प्रात्याख्यान कर अपने जवाब में प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई ने यह कहा है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई की ग्राम बोदा प.ह.नं.54/07 में पैतृक भूमि है, जिस पर वे काबिज है। प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई पूर्वजों के समय से बने मकान में शांतिपूर्वक निवास कर रही है और उसने वादीगण की भूमि पर अवैध अतिक्रमण नहीं किया है। वादीगण द्वारा ग्राम पोण्डी स्थित खसरा नंबर 17/4 एवं 17/15 कुल रकबा 0.76 एकड़ भूमि दिनांक 14.03.2014 को निर्मलदास पिता शिवदास आदि से क्रय की थी। वादीगण द्वारा क्रय की गई भूमि से प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई का कोई संबंध नहीं है और न ही वादीगण की भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई के मकान से लगी है। वादीगण की भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई के मकान के पास होती तो उसके द्वारा क्रय की गई भूमि की चतुरसीमा में प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई की भूमि और मकान बने होने का उल्लेख होता। वादीगण ने झूठे एवं बनावटी आधार लेकर न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया है। वादीगण ने भूमि क्रय करने के पूर्व न तो कभी सीमांकन करवाया और

न ही किसी प्रकार की जांच की, मात्र राजस्व अभिलेख में इंद्राज होने से विक्रय पत्र का पंजीयन अपने नाम पर करवा लिया। जिन लोगों से वादीगण ने भूमि क़य की है वे कभी भी ग्राम बोदा में निवास नहीं करते थे और न ही उनका कभी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा था। यदि प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई ने वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया होता तो विक्रेता इस संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई के विरुद्ध कार्यवाही करते। यदि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई का मकान बना पाया भी जाता है तो विरोधी आधिपत्य के आधार पर उसका स्वत्व परिपक्व हो गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण किसी भी प्रकार से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। वादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर सीमांकन रिपोर्ट अपने पक्ष में बनवाई है तो वह भी प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई पर बंधनकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा निरस्त किया जावे।

5. न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख निष्कर्ष निम्नानुसार है:—

| क्रमांक | वादप्रश्न   | निष्कर्ष  |
|---------|---|-----------|
| 1       | क्या वादीगण के स्वत्व की वादग्रस्त संपत्ति मौजा बोदा, प.ह.नं. 54/07 रा.नि.मं. गढ़ी, तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 17/4 रकबा 0.76 डिसमिल, खसरा नंबर 17/15 रकबा 0.308 हे० भूमि में से 0.03 डिसमिल पर प्रतिवादी क्रमांक 01 ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान का निर्माण किया ? | प्रमाणित  |
| 2       | क्या वादग्रस्त स्थान पर प्रतिवादी क्रमांक 01 को विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व प्राप्त हो चुका है ?   | अप्रमाणित |
| 3       | क्या वादीगण वादग्रस्त स्थान पर बने  | प्रमाणित  |

|   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
|   | मकान को तोड़कर रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? |                               |
| 4 | सहायता एवं खर्च ?  | निर्णय की कंडिका 13 के अनुसार |

### वादप्रश्न क01 का निष्कर्ष:-

6. इस वादप्रश्न को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी सुरेश वा.सा.01 ने अपने शपथ पत्रीय साक्ष्य में यह कहा है कि खसरा नंबर 17/4 रकबा 0.76 डिसमिल, खसरा नंबर 17/15 रकबा 0.308 हे0 भूमि उसके स्वत्व की भूमि है। वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम पर दर्ज है, इसे सिद्ध करने के लिये खसरा फार्म पी-2 वर्ष 2014-15 प्र.पी.01 दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। प्र.पी.01 दस्तावेज में खसरा नंबर 17/4 तथा खसरा नंबर 17/15 की कुल रकबा 0.308 हे0 भूमि सुरेश, नरेश पिता सिरजूदास के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज होना दर्शित है। उपरोक्त भूमि के संबंध में नक्शा प्रिंट आउट प्र.पी.02 अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है जिसमें खसरा नंबर 17/4 की भूमि की स्थिति दर्शित है। वादी सुरेश वा.सा.01 ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि वर्ष 2014 में होली के त्यौहार के समय प्रतिवादी कमांक 01 लक्ष्मीबाई ने वादीगण के स्वत्व की भूमि में से 0.03 डिसमिल भूमि पर कच्चा मकान बनाया और जब वादी ने उसे मना किया तो प्रतिवादी कमांक 01 लक्ष्मीबाई ने कहा कि वह भूमि का सीमांकन करवा ले। यदि उसका मकान वादीगण की भूमि पर पाया जाता है तो वह अपना मकान व बाड़ी तोड़ देगी। इसके पश्चात वादी ने तहसीलदार बैहर के न्यायालय में सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 08.04.2015 को राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन करने पर वादी के स्वत्व की भूमि पर प्रतिवादी कमांक 01 लक्ष्मीबाई का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त कथनों के समर्थन में वादी सुरेश वा.सा.01 ने राजस्व प्रकरण कमांक 15अ-2 वर्ष 2015 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.03 अभिलेख पर प्रस्तुत की है। प्र.पी.03 प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख है कि खसरा नंबर 17/4 तथा खसरा नंबर 17/15 रकबा 0.308 हे0 भूमि का सीमांकन किया गया और इस भूमि पर नकुलदास पिता लहरदास का मकान, बाड़ी 0.03 डिसमिल भूमि पर, शिवकुमार पिता चुड़ादास का 0.05 डिसमिल भूमि पर तथा लक्ष्मीबाई बेवा गणेश का 0.03 डिसमिल भूमि पर अवैध कब्जा पाया

गया। प्र.पी.03 प्रतिवेदन के अनुसार इस भूमि पर उपरोक्त लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रहवासी मकान बना होना पाया गया।

7. उपरोक्त सीमांकन रिपोर्ट तैयार करते समय मौके का पंचनामा बनाया गया था, इस संबंध में वादी ने पंचनामा प्र.पी.04 अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। यह पंचनामा दिनांक 08.04.2015 को बनाया जाना दर्शित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पंचनामा गवाहों के समक्ष बनाया गया था, यह बात प्र.पी.04 के पंचनामे से दर्शित है। उपरोक्त पंचनामे के साथ मौके का नक्शा प्र.पी.05 भी अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि के विषय में पांचसाला खसरा प्र.पी.06 अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार वर्ष 2014-15 को तहसीलदार बैहर के आदेश से भूमि क्रय किया जाना एवं वादीगण के नाम पर दर्ज किया जाना दर्शित है। वादग्रस्त भूमि के विषय में फील्ड बुक प्र.पी.07 भी अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्रतिपरीक्षण में वादी सुरेश वा.सा.01 ने स्वीकार किया है कि खसरा नंबर 17/4 एवं खसरा नंबर 17/15 की भूमि उसने खुड्डीबाई बेवा बिहारी ग्राम सरेखा से क्रय की थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई का रहवासी मकान बना हुआ है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने दो सर्वे क्रमांक की भूमि क्रय की थी जिसमें से एक सर्वे क्रमांक 15/4 की 26 डिसमिल भूमि क्रय की है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह खरीदी हुई भूमि सर्वे क्रमांक 16/4 की 26 डिसमिल भूमि के ही कब्जे पर है। प्रकरण में यह महत्वपूर्ण है कि वादी ने अपने शपथ पत्र में खसरा नंबर 17/4 की भूमि क्रय करने का अभिवचन किया है, जबकि प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने खसरा नंबर 16/4 की भूमि क्रय की है जिसपर प्रतिवादी लक्ष्मीबाई का मकान बना हुआ है। प्रतिवादी पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई का मकान काफी पुराने समय से बना है। साक्षी ने स्वतः कहा कि उसके भूमि क्रय करने के पश्चात ही प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई ने मकान बनाया है। वादी सुरेश वा.सा.01 ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने दावा खसरा क्रमांक 16/4 एवं खसरा क्रमांक 16/15 के संबंध में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार साक्षी के कथनों में यह महत्वपूर्ण विरोधाभास है कि वस्तुतः उसके द्वारा किस सर्वे क्रमांक की भूमि क्रय की गई थी एवं उसके द्वारा कौन सी भूमि पर कब्जा प्राप्ति हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है।

8. प्रकरण में प्रतिवादी लक्ष्मीबाई प्र.सा.01 ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई की ग्राम बोदा, प.ह.नं.



54/07 में पैतृक संपत्ति है, जिसपर वे काबिज हैं। प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई का मकान उसके पूर्वजों के समय से बना हुआ है जिसपर वह निवास करती है। वर्ष 2014 में उसने होली के त्यौहार के समय कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। वादीगण द्वारा कय की गई भूमि से प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई का कोई संबंध नहीं है और न ही उस भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई ने कोई निर्माण कार्य किया है। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि खुड्डीबाई बेवा बिहारीदास निवासी ग्राम सरेखा से कय की थी परन्तु खुड्डीबाई तथा उसके वारसान ग्राम बोदा में न तो कभी निवास करते थे और न ही उनका कोई कब्जा था। यदि प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई का मकान वादीगण की भूमि पर पाया भी जाता है तो विरोधी आधिपत्य के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई का स्वत्व परिपक्व हो चुका है।

9. प्रतिपरीक्षण में साक्षी लक्ष्मीबाई प्र.सा.01 ने स्वीकार किया है कि उसने अपने मकान के विषय में दस्तावेज, राजस्व रिकार्ड, खसरा इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जिस व्यक्ति का मकान इत्यादि बना होता है उसका इंद्राज राजस्व रिकार्ड में होता है। साक्षी ने कहा है कि पूर्वजों के समय से उसका मकान बना हुआ है, इस संबंध में उसने कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये हैं। वादी पक्ष द्वारा दिये गये सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि उसे वादीगण ने कब्जा छोड़ने के लिये कहा था परन्तु उसने कब्जा नहीं छोड़ा। साक्षी ने कहा है कि विरोधी आधिपत्य क्या होता है उसकी उसे जानकारी नहीं है। प्रकरण में यह महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी लक्ष्मीबाई प्र.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वादीगण ने दिनांक 14.03.2014 को विक्रय पत्र के माध्यम से वादग्रस्त भूमि को कय किया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वादीगण के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को निरस्त कराने के संबंध में उसने न्यायालय में दावा प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार प्रतिवादी लक्ष्मीबाई प्र.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में वादीगण का वादग्रस्त भूमि का स्वत्व स्वीकार किया है।

10. प्रकरण में यद्यपि वादीगण ने स्वयं द्वारा कय की गई भूमि के विषय में विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु प्रतिवादी लक्ष्मीबाई प्र.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में वादीगण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से वादग्रस्त भूमि कय किया जाना स्वीकार किया है इसलिये वादग्रस्त भूमि वादीगण के स्वत्व की भूमि होना प्रमाणित माना जावेगा। सीमांकन प्रतिवेदन प्र.पी.03 तथा पंचनामा प्र. पी.04 से यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी लक्ष्मीबाई प्र.सा.01 द्वारा वादीगण के स्वत्व की भूमि के एक अंश 0.03 डिसमिल की भूमि पर मकान व बाड़ी बनाकर कब्जा

किया गया है। वादी सुरेश वा.सा.01 के प्रतिपरीक्षण में यह विरोधाभास अवश्य प्रकट हुआ है कि उसने खसरा नंबर 16/4 एवं खसरा नंबर 16/15 की भूमि कय की थी, परन्तु प्रतिवादी लक्ष्मीबाई प्र.सा.01 द्वारा वादग्रस्त भूमि वादीगण के स्वत्व की भूमि होना स्वीकार किये जाने से जिसका उल्लेख वाद पत्र में तथा वादी के शपथ पत्र में खसरा नंबर 17/4 तथा खसरा नंबर 17/15 उल्लेखित होने से यह एक सद्भाविक त्रुटि मानी जा सकती है कि वादी को न्यायालयीन परीक्षण के समय खसरा नंबर गलत याद आ गया होगा। अन्यथा भी जहाँ प्रतिवादी लक्ष्मीबाई प्र.सा.01 द्वारा स्वामित्व का तथ्य स्वीकार कर लिया गया हो, वहाँ वादी के मौखिक साक्ष्य में आई त्रुटि को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्र.पी.03 की सीमांकन रिपोर्ट तथा पंचनामा प्र.पी.04 में आवेदकगण/वादीगण सुरेश, नरेश पिता सिरजूदास की भूमि के सीमांकन किये जाने का उल्लेख है, जिससे परोक्ष रूप से वादीगण के वादग्रस्त भूमि के स्वत्व की धारणा की जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित माना जावेगा कि प्रतिवादी लक्ष्मीबाई प्र.सा. 01 द्वारा वादीगण के स्वत्व की खसरा नंबर 17/4 एवं खसरा नंबर 17/15 कुल रकबा 0.76/0.308 हे० भूमि में से 0.03 डिसमिल भूमि पर अवैध रूप से मकान व बाड़ी का निर्माण किया गया है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष प्रमाणित में दिया जाता है।

### वादप्रश्न क02 का निष्कर्ष:-

11. प्रतिवादी लक्ष्मीबाई प्र.सा.01 ने अपने जवाबदावे में यह कहा है कि यदि उसका वादीगण के स्वत्व की वादग्रस्त भूमि पर कब्जा पाया भी जाता है तो विरोधी कब्जे के आधार पर उसका वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व परिपक्व हो चुका है। प्रतिवादी लक्ष्मीबाई प्र.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि विरोधी कब्जा क्या होता है इसकी उसे जानकारी नहीं है। वादप्रश्न क्रमांक 01 के निष्कर्ष में न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित पाया गया है कि प्रतिवादी लक्ष्मीबाई प्र.सा.01 द्वारा वादीगण की खसरा क्रमांक 17/4 एवं खसरा नंबर 17/15 कुल रकबा 0.76/0.308 हे० भूमि में से 0.03 डिसमिल भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत गुरुद्वारा साहब विरुद्ध ग्राम पंचायत ग्राम सिरथला व अन्य 2014 (3) एम पी एल जे 36 में यह अवधारित किया है कि "विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम (1963 का 47), धारा 34 एवं परिसीमा अधिनियम (1963 का 36), धारा 27 एवं अनुच्छेद 64 से 66 — प्रतिकूल

कब्जा— प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हक की कोई भी घोषणा नहीं चाही जा सकती— यद्यपि वादी का कब्जा प्रतिकूल पाया जाता है तो भी इस आशय की घोषणा का अनुरोध नहीं किया जा सकता कि ऐसा प्रतिकूल कब्जा स्वामित्व में परिपक्व हो गया है— केवल जब प्रतिकूल कब्जे में पाये गये व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाहियां दायर की जाती, तब वह उसके प्रतिकूल कब्जे को कवच प्रतिरक्षा के रूप में प्रयोग में ला सकता है। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित कर दिया है कि विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वामित्व की कोई भी घोषणा नहीं चाही जा सकती। इस आधार पर प्रतिवादी लक्ष्मीबाई द्वारा विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व परिपक्व हो जाने का आधार लिया जाना न्यायसंगत नहीं है। अन्यथा भी विरोधी आधिपत्य के आधार के लिये 12 वर्ष तक निरंतर शांतिपूर्वक वादग्रस्त भूमि के स्वामी की जानकारी में उसके स्वत्व को नकारते हुये आधिपत्य में होना आवश्यक है। यह तथ्य प्रतिवादी लक्ष्मीबाई प्र.सा.01 द्वारा अभिलेख पर प्रमाणित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वादप्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष अप्रमाणित में दिया जाता है।

#### **वादप्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष :-**

**12.** वादप्रश्न क्रमांक 01 के निष्कर्ष में न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि प्रतिवादी लक्ष्मीबाई प्र.सा.01 द्वारा वादीगण के स्वत्व की भूमि खसरा नंबर 17/4 एवं खसरा क्रमांक 17/15 कुल रकबा 0.76 डिसमिल एवं 0.308 हे० भूमि में से 0.03 डिसमिल भूमि पर अवैध रूप से मकान व बाड़ी बनाकर अतिक्रमण किया गया है तथा वादप्रश्न क्रमांक 02 के निष्कर्ष में प्रतिवादी लक्ष्मीबाई का वादग्रस्त भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व होना प्रमाणित नहीं पाया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट प्र.पी.03 तथा पंचनामा प्र.पी.04 के आधार पर प्रकरण में यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी लक्ष्मीबाई प्र.सा.01 द्वारा वादीगण के स्वत्व की 0.03 डिसमिल भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान/बाड़ी बनाई गई है। चूँकि वादीगण वादग्रस्त भूमि के स्वामी है इसलिये उन्हें अधिकार है कि वे प्रतिवादी लक्ष्मीबाई द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाकर अपनी भूमि का कब्जा प्राप्त करें। अतः वादप्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष प्रमाणित में दिया जाता है।

#### **सहायता एवं खर्च:-**

**13.** उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण अपना दावा सिद्ध करने में सफल रहे हैं। अतः वादीगण का दावा वादग्रस्त भूमि मौजा बोदा प.ह.नं.54/07 रा. नि.मं. गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा क्रमांक 17/4 एवं खसरा क्रमांक 17/15 कुल रकबा 0.76 डिसमिल एवं 0.308 हे० भूमि में से 0.03



Case No. 30A/2016

Filling no,234503011742015

डिसमिल भूमि के विषय में कब्जा प्राप्ति हेतु जयपत्रित किया जाता है एवं निम्न आज्ञाप्ति पारित की जाती है:—

1.प्रतिवादी क्रमांक 01 लक्ष्मीबाई स्वयं के व्यय पर वादीगण के स्वत्व की भूमि खसरा नंबर 17/4 एवं खसरा क्रमांक 17/15 कुल रकबा 0.76 डिसमिल एवं 0.308 हे० भूमि में से 0.03 डिसमिल भूमि पर बने मकान व बाड़ी को निर्णय दिनांक से 30 दिवस की अवधि में तोड़कर रिक्त आधिपत्य वादीगण को प्रदान करेगी।

2.प्रतिवादी क्रमांक 01 वादीगण का वाद व्यय वहन करेगी।

3.अधिवक्ता शुल्क सूचीनुसार अथवा प्रमाणित होने पर जो भी न्यून हो देय होगा।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।  
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

सही /—

(श्रीष कैलाश शुक्ल)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर

सही /—

(श्रीष कैलाश शुक्ल)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर